पत्राचार पाठ्यक्रम के
शुल्क की प्रतिपूर्ति

170

BLANK

मध्यप्रदेश शासन
समाज कल्याण विभाग

आदेश

क्रमांक डी/2632/2058/26-2/86

भोपाल, दिनांक 6 जून, 1986

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के अंधे, मूक एवं बधिर परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क से छूट दी जाय, उक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिये परीक्षा शुल्क के बराबर राशि समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के सम्बन्धित विश्वविद्यालयों अथवा म. प्र हायर सेकेण्डरी बोर्ड को दी जायेगी.

2. उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जावेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(आर. एच. भाटिया),
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 15/29-10-87

क्र. फा. 12-24/87/2/25

प्रति,

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
म. प्र. भोपाल.

विषय.—पत्राचार पाठ्यक्रम के शुल्क की प्रतिपूर्ति नवीन व्यय 87-88.

संदर्भ.—आपका ज्ञापन क्र. रा. छा./87/97/194/12066.

राज्य शासन अनुसूचित जाति/जनजाति के स्वाध्यायी विद्यार्थियों जिनके परिवार की वार्षिक आय रु. 12000/- प्रतिवर्ष तक होगी, जिसमें परीक्षार्थी की आय भी शामिल रहेगी को पत्राचार पाठ्यक्रम योजनान्तर्गत पंजीकृत होने व वर्ष 1988 में होने वाली परीक्षा हायर सेकेण्डरी में सम्मिलित होने के लिये माध्यमिक शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु चालू वित्तीय वर्ष में रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख) के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1987-88 के निम्न बजट शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा ''मांग संख्या-41-मुख्य शीर्ष 2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना-राज्य आयोजना-2-शिक्षा-054 मा. शिक्षा मण्डल को पत्राचार पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति.

3. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्र. 1318-SR-514-IV-BP दिनांक 28-10-87 द्वारा महालेखाकार म. प्र. ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(**लोकेन्द्र पाण्डेय**),
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग .

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति, हरिजन एवं पिवक विभाग

क्रमांक एफ. 12-24/87/2/25 भोपाल, दिनांक 17 फरवरी, 1988

प्रति,

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
म. प्र. शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल.

विषय.—पत्राचार पाठ्यक्रम के शुल्क की प्रतिपूर्ति नवीन व्यय 1987-88.

संदर्भ.—आपका ज्ञापन क्रमांक रा. छा./194/570, दिनांक 7-1-88.

विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 29-10-87 द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम योजनान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु प्रसारित स्वीकृति के संदर्भ में अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करें. इस संबंध में आपके द्वारा प्रायोगिक शुल्क एवं विलम्ब शुल्क की प्रतिपूर्ति बाबत् प्रस्ताव प्रेषित किया गया है. प्रस्ताव पर विचारोपरांत शासन ने निर्णय लिया है कि प्रयोगिक शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा सकती है, अतः तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें.

भवदीय,
हस्ता./-
(डी. सिंघई),
संयुक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति, हरि. एवं पिवक विभाग.

पृ. क्रमांक एफ. 12-24/87/2/25 भोपाल, दिनांक 17 फरवरी, 1988

प्रतिलिपि :—

(1) संचालक, हरिजन विकास, म. प्र. भोपाल को विभागीय पृष्ठांकन दिनांक 29-10-87 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित कर निवेदन है कि वे उनके पत्र क्रमांक छात्रावास/2/146/87/7636, दिनांक 19-1-88 के संदर्भ में अनुसूचित जातियों के लिए आवश्यक राशि आयुक्त, आ. वि. को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही कराएं. आयुक्त, आ. वि. को स्वीकृत राशि में अनु. जाति के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति जोड़ी गयी है.

(2) श्री एच. एन. शर्मा, सहायक आयुक्त, आ. वि. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कृपया उपरोक्त योजना के संबंध में प्रचार-प्रसार हेतु एक नोट शासन को भेजने की व्यवस्था करें.

संयुक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति, हरि. एवं पिवक विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

क्रमांक एफ. 12/24/1987/2/25 भोपाल, दिनांक 10 मई, 1988

प्रति,

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
म. प्र., भोपाल.

विषय.--माध्यमिक शिक्षा मण्डल को पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के शुल्क की प्रतिपूर्ति.

संदर्भ.—विभागीय समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 29-10-1987.

राज्य शासन द्वारा वर्ष 87-88 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल को पत्राचार पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क को प्रतिपूर्ति के बारे में संदर्भित शासकीय ज्ञापन द्वारा स्वीकृति प्रसारित की गयी थी.

2. उपरोक्त स्वीकृति आदेश में कतिपय जरूरी बातों का उल्लेख छूट गया था, अतः निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रसारित किया जाता है—

(1) यह योजना प्रतिवर्ष चालू रहेगी तथा योजना के लिए आवश्यक बजट प्रावधान आयुक्त, आदिवासी विकास अपने बजट में कराए.

(2) इस योजना के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वाध्यायी विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्कों की पूर्ति की पात्रता होगी बशर्ते कि इन विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय रु. 12000/- से अधिक न हो. इस आय में परीक्षार्थी की स्वयं की आय भी शामिल रहेगी.

(3) प्रति छात्र 466/- रु. शुल्क के अतिरिक्त प्रायोगिक विषयों के लिए रु. 10/- प्रति विषय प्रायोगिक शुल्क की पूर्ति की स्वीकृति दी जा सकेगी.

(4) योजना का क्रियान्वयन आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा किया जाएगा, परन्तु अनुसूचित जातियों के छात्रों के प्रकरण संचालक, हरिजन विकास के माध्यम से परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु आयुक्त, आदिवासी विकास को प्रेषित किए जाएंगे.

(5) **अनुश्रवण :**— योजना की सतत समीक्षा आयुक्त, आदिवासी विकास एवं संचालक, हरिजन विकास द्वारा की जाती रहेगी. ये माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं विभागीय अधिकारियों के माध्यम से योजना का प्रचार-प्रसार करायेंगे एवं योजना के क्रियान्वयन के बारे में समय-समय पर जानकारी प्राप्त करेंगे. किए गए अनुश्रवण की रिपोर्ट हर 6 महीनों में शासन को भेजी जाएगी.

(6) **मूल्यांकन :**—योजना प्रारम्भ होने के 2 वर्ष बाद उक्त योजना का मूल्यांकन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा कराया जावेगा. योजना के मूल्यांकन की रिपोर्ट आयुक्त, आदिवासी विकास संचालक, हरिजन वि. एवं शासन को प्रेषित की जावेगी.

(7) उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से प्रसारित की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(ओम प्रकाश मेहरा),
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ. 12-42/99/25/2

भोपाल, दिनांक 17-1-2001

प्रति,

1. प्रमुख सचिव/सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन,
   समस्त वभाग.
2. आयुक्त,
   आदिवासी विकास, भोपाल.
3. संचालक,
   अनुसूचित जाति विकास, भोपाल.

विषय.—अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों से महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों द्वारा ली जा रही फीस के संबंध में.

मंत्रि-परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया है कि :—

1. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुरक्षण भत्ते, फीस एवं अन्य अनिवार्य शुल्क के संबंध में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्देश जारी किए जाएं.

2. पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पात्र समस्त छात्रों को उनकी पात्रता अनुसार छात्रवृत्ति समय-सीमा में देना सुनिश्चित करने के लिए उनके आवेदन-पत्र समय पर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों/शिक्षण संस्थाओं को होगी तथा छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान करने की जिम्मेदारी आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की होगी. संबंधित विभाग इस आशय के लिए उनके नियंत्रणाधीन संस्थाओं का नियमित निरीक्षण करेंगे.

3. पाठ्यक्रमों की प्रवेश विवरणिका में सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं से ली जाने वाली फीस तथा अन्य शुल्कों का स्पष्ट विवरण दिया जाए. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सुविधाओं का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाए.

4. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के जिन छात्र-छात्राओं को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है, उनसे शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा सामान्य छात्रों से लिए जाने वाले शुल्कों का केवल 20 प्रतिशत अथवा रुपये 5,000/- की राशि में से जो भी कम हो, शुल्क के रूप में लिया जाए. इस शुल्क का भुगतान संबंधित छात्र-छात्राओं द्वारा शैक्षणिक संस्था को किया जाए.

5. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के जिन छात्र-छात्राओं को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता है, उनसे शिक्षण संस्थाओं द्वारा फीस एवं शुल्क नहीं लिया जाए वरन् छात्रों द्वारा देय इस राशि की प्रतिपूर्ति संस्था को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के माध्यम से आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सही./-
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग.